न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :– ग्रामीण 16/24

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
बैंक ऑफ बडांदा चांदपोल, जोधपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी शैलेन्द्र प्रताप कैलानी		• मैसर्स श्री भगवती बिल्डिंग मेटेरियल जरिये प्रोपराईटर नाथी पत्नि श्रवणराम जोधपुर रोड, गांव रीया सेठों की तहसील पीपाड शहर, जोधपुर • नाथी पत्नी श्रवणराम 275, सुभाष कॉलोनी वार्ड नम्बर 9, पीपाड शहर जिला जोधपुर • श्रवणराम पुत्र चुन्नीलाल 275, सुभाष कॉलोनी वार्ड नम्बर 9, पीपाड शहर जिला जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

आदेश दिनांक :– 09.05.2024

उपस्थिति :–

1–श्री विरेन्द्र सिंह इन्दा अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थी पक्ष की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण मैसर्स श्री भगवती बिल्डिंग मेटेरियल जरिये प्रोपराईटर नाथी पत्नि श्रवणराम व अन्य के विरूद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 65,78,000/– ऑवरड्राफ्ट [illegible] कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण 1. **श्रवणराम पुत्र चुन्नीलाल** [illegible] पत्नि **कृष्णाचंद** की जायदाद 1. **आवासीय जायदाद स्थित** [illegible] **पास, बोयल रोड़, पीपाड शहर जिला जोधपुर ग्रामीण** [illegible] **आवासीय जायदाद प्लॉट नं. 99 व 100, उचियाडा बेरा, पीपाड शहर, जिला** [illegible] **धपुर ग्रामीण**

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2025.01.28 10:40:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला [illegible] राज.

जिसका क्षेत्रफल 1600 वर्गफुट, जिसके 1. उत्तर में सोहनलाल को बेचा गया प्लॉट, दक्षिण में रामरख भाटी का मकान, पूर्व में शेषाराम भाटी का मकान, पश्चिम में निकाल व रास्ता 2. उत्तर में निकाल, दक्षिण में अन्य भूमि, पूर्व में प्लॉट नं. 98, पश्चिम में प्लॉट नं. 101 आया हुआ, को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने मे असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 31.03.2023 तक 59,58,495.74/– रूपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 65,78,000/– ऑवरड्राफ्ट व टर्म ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 31.03.2023 तक 59,58,495.74/– रूपये वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्राथीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष 1. श्रवणराम पुत्र चुन्नीलाल एवं 2. सुमित्रा पत्नि कृष्णाचंद द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद **1. श्रवणराम पुत्र चुन्नीलाल एवं 2. सुमित्रा पत्नि कृष्णाचंद** की जायदाद **1. आवासीय जायदाद स्थित सुभाष कॉलोनी, महाराज का बेरा के पास, बोयल रोड़, पीपाड शहर जिला जोधपुर ग्रामीण जिसका क्षेत्रफल 833 वर्गफुट 2. आवासीय जायदाद प्लॉट नं. 99 व 100, उचियाडा बेरा, पीपाड शहर, जिला जोधपुर ग्रामीण जिसका क्षेत्रफल 1600 वर्गफुट जिसके 1. उत्तर में सोहनलाल को बेचा गया प्लॉट, दक्षिण में रामरख भाटी का मकान, पूर्व में शेषाराम भाटी का मकान, पश्चिम में निकाल व रास्ता 2. उत्तर में निकाल, दक्षिण में अन्य भूमि, पूर्व में प्लॉट नं. 98, पश्चिम में प्लॉट नं. 101 आया हुआ,** का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

आदेश आज दिनांक 09.05.2024 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2025.01.28 10:40:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण

अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट